परिशिष्ट - 1

विधान सभा [19/2/2024]

प्रश्न सं. [क्र. 1847]

मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग
मंत्रालय

--::आदेश::--

भोपाल, दिनांक 25/08/2023

क्रमांकः 1088/एफ 2/1/6/0006/2023/55-2, मंत्रि-परिषद के अनुमोदन उपरांत इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 05.07.2023 द्वारा खरगौन, धार, भिण्ड, बालाघाट, टीकमगढ़ एवं सीधी के नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना हेतु सैद्धांतिक सहमति जारी की गई है। राज्य शासन ने इन चिकित्सा महाविद्यालयों का निर्माण मध्यप्रदेश बिल्डिंग डेव्लपमेंट कार्पोरेशन के माध्यम से कराने का निर्णय लिया है।

2/ मध्यप्रदेश बिल्डिंग डेव्लपमेंट कार्पोरेशन ने जिला कलेक्टरों के सहयोग से भूमि चिन्हित कर प्रथम चरण में उनके बाउण्ड्रीवॉल निर्माण के प्राक्कलन विभाग को भेजे है। चिकित्सा महाविद्यालयों के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाने की कार्यवाही मध्यप्रदेश बिल्डिंग डेव्लपमेंट कार्पोरेशन द्वारा की जा रही है।

3/ राज्य शासन एतद् द्वारा इन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना हेतु प्रथम चरण की बाउण्ड्रीवॉल निर्माण के लिए खरगोन राशि रूपये 378.08 लाख, धार राशि रूपये 296.95 लाख, भिण्ड राशि रूपये 296.95 लाख, बालाघाट राशि रूपये 311.58 लाख, टीकमगढ़ राशि रूपये 296.95 लाख एवं सीधी 400.18 लाख कुल राशि रूपये 1980.69 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4/ यह स्वीकृति दिनांक 23.08.2023 को लिए गये प्रशासकीय अनुमोदन के अनुक्रम मे जारी की गई है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(बबीता वसुनिया)
अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

निरन्तर.........

श्री विपुल सिंघल
योजना सलाहकार (पी.एम.यू.)
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

1829/
पृ. क्र./एफ 2/1/6/0006/2023/55–2 भोपाल, दिनांक 25/08/2023

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. भोपाल।
2. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. निज सचिव, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा-विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. निज सचिव, अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय।
5. निज सचिव, उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय।

---

1. महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर।
2. निज सचिव, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, भोपाल।
4. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर उनकी टीप कमांक 941/2/योवि/डीएमई/23 दिनांक 08.08.2023 के संदर्भ मे सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश भवन विकास निगम, उद्यमिता विकास केन्द्र, अरेरा हिल्स, भोपाल।
6. संभागीय आयुक्त एवं अध्यक्ष स्वशासी समिति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, एवं रीवा, मध्यप्रदेश।
7. अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर, ग्वालियर, जबलपुर, सागर, एवं रीवा, मध्यप्रदेश।
8. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा एवं सागर, मध्यप्रदेश। की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
9. कलेक्टर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, रीवा एवं सागर, म.प्र.

25.8.2023

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

चिकित्सा शिक्षा विभाग

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश भोपाल
3968
दिनांक 28/8/23

D.P.

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

श्री विपुल सिंघल
योजना सलाहकार (पी.एम.यू.)
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा

परिशिष्ट-2
विधानसभा प्र.क्र.-1847

CIN : U45400MP2022SGC060277

मध्यप्रदेश भवन विकास निगम लिमिटेड

(म.प्र. शासन का उपक्रम)
16-ए, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)-462011
☎ : 0755-4853295 / 4853297, वेबसाइट : www.mpbdc.gov.in

MPBDC

Azadi Ka Amrit Mahotsav

क्र.2759/एमपीबीडीसी/2023 भोपाल, दिनांक 29/09/2023

प्रति,

आयुक्त,
चिकित्सा शिक्षा,
भोपाल (म.प्र.)

विषयः- सीधी एवं टीकमगढ़ में 100 सीटेड मेडिकल कॉलेज के मानक प्राक्कलन प्रेषित करने बाबत्।
संदर्भः- 1.अपर मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन द्वारा आयोजित पूंजीगत कार्यों की समीक्षा बैठक दिनांक 08.08.2023 का कार्यवाही विवरण
2. इस कार्यालय का पत्र क्र.2275/एमपीबीडीसी/2023 भोपाल दिनांक11.08.2023
3. आपका पत्र क्र.869/2/यो.चि./संचिशि/ 2023 भोपाल दिनांक 20.07.2023
4. इस कार्यालय का पत्र क्र.2385/एमपीबीडीसी/2023 भोपाल दिनांक 25.08.2023
5. इस कार्यालय का पत्र क्र.2415/एमपीबीडीसी/2023 भोपाल दिनांक 29.08.2023
6. कार्यालय आयुक्त चिकित्सा शिक्षा विभाग का पत्र क्र. 1129/2/यो.चि./संचिशि/2023 भोपाल दिनांक 18.09.203

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि संदर्भित पत्र क्र. 4 एवं 5 के द्वारा 100 सीटेड नवीन चिकित्सा महाविद्यालय खरगौन, धार, भिण्ड एवं बालाघाट के आदर्श प्राक्कलन आपकी ओर प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने हेतु प्रेषित किये गये थे, जिनकी अनुमानित लागत निम्नानुसार हैः-

स. क्र.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत
1	नवीन चिकित्सा महाविद्यालय खरगौन	268.01 करोड़
2	नवीन चिकित्सा महाविद्यालय धार	268.01 करोड़
3	नवीन चिकित्सा महाविद्यालय बालाघाट	268.01 करोड़
4	नवीन चिकित्सा महाविद्यालय भिण्ड	268.01 करोड़

संदर्भित पत्र क्र. 6 के अनुसार नवीन चिकित्सा महाविद्यालय क्रमशः टीकमगढ़ एवं सीधी के लिए आदर्श डी.पी.आर सर्वोपरि आधार पर तैयार कर उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये है। अतः तदनुसार 100 सीटेड नवीन चिकित्सा महाविद्यालय क्रमशः टीकमगढ़ एवं सीधी आदर्श डी.पी.आर. प्रेषित है। इन कार्यों की अनुमानित लागत निम्नानुसा हैः-

स. क्र.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत
1	नवीन चिकित्सा महाविद्यालय सीधी	268.01 करोड़
2	नवीन चिकित्सा महाविद्यालय टीकमगढ़	268.01 करोड़

अतएव कृपया उपरोक्तानुसार 6 नवीन चिकित्सा महाविद्यालय कार्यों की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार

2 प्रतियों में

श्री विपुल सिंघल
योजना सलाहकार (पी.एच.यू.)
संचालनालय चिकित्सा शिक्षा

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा विभाग

प्रबंध संचालक
म.प्र. भवन विकास निगम
भोपाल (म.प्र.)

29/02
27/10/23

P.D.

Action & Letter building